



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052023-245729
CG-DL-E-05052023-245729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2004]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 2004]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2092(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 838 (अ) दिनांक 22 फरवरी 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 जी के कि.मी. 65.00 से कि.मी. 81.300 तक उज्जैन झालावाड़ खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28 फरवरी 2023" को "दैनिक भास्कर" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 जी के कि.मी. 65.00 से कि.मी. 81.300 तक उज्जैन झालावाड़ खण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: उज्जैन			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: घटिया				
	गांव का नाम: पीपलई				
1	180	निजी	सिंचित	0.1	गंगाराम पिता भेरा (180)
2	181	सरकारी	असिंचित	0.04	मध्यप्रदेश शासन (181)
3	182	निजी	सिंचित	0.11	बाबूलाल पिता सुंदरलाल (182/1)
4	182	निजी	सिंचित	0.11	सुशीला बेवा महेन्द्रसिंह, नितिन, नितेश, निहाल पिता महेन्द्रसिंह (182/2)
5	182	निजी	सिंचित	0.06	वीरसिंह पिता सुंदरलाल (182/3)
6	47/2	निजी	सिंचित	0.09	लीलाबाई पति बद्रीलाल (47/2)
7	49/2	निजी	सिंचित	0.12	दीपक पिता भूवान (49/2)
8	49/3	निजी	सिंचित	0.08	दिनेश पिता भागीरथ (49/3)
			कुल	0.7100	

[फा. सं. PIU/IND/U-J/LA/3A/2018/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2092(E).— In—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **838 (E) dated 22 February 2023**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway 552G on the stretch of land from Km 65.00 to Km 81.300 Ujjain Jhalwar Section in the district of UJJAIN in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Bhaskar**” and “**Free press**” both dated **28 February 2023**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway 552G in the stretch of land from from Km 65.00 to Km 81.300 Ujjain Jhalwar Section in the district of UJJAIN in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: UJJAIN		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ghatiya				
	Village: Piplai				
1	180	Private	Irrigated	0.1	Gangaram S/o Bhera 180
2	181	Government	Un Irrigated	0.04	MP Govt. 181
3	182	Private	Irrigated	0.11	Babulal S/o Sundarlal 182/1
4	182	Private	Irrigated	0.11	Sushila Widow Mahendra Singh, Nitin, Nitesh, Nihal S/o Mahendra Singh 182/2
5	182	Private	Irrigated	0.06	Veersingh S/o Sundarlal 182/3
6	47/2	Private	Irrigated	0.09	Leelabaai W/o Badrilal 47/2
7	49/2	Private	Irrigated	0.12	Deepak S/o Bhuwan 49/2

8	49/3	Private	Irrigated	0.08	Dinesh S/o Bhagirath 49/3
			TOTAL	0.71	

[F. No. PIU/IND/U-J/LA/3A/2018/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.